अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 42/2011

सरल प्रसाद

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 19/मु0, दिनांक 10.02.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि इस नयायालय के आदेश दिनांक 26.08.2013 के द्वारा अपीलार्थी अपील आवेदन को सुनवाई के उपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा विद्वान आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के न्यायालय में आपूर्ति रिविजन वाद संख्या–307/2013 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 26.08.2015 को विद्वान आयुक्त के द्वारा इस न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए, यह वाद पुनर्विचार हेतु एवं सुनवाई के उपरान्त विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु समाहर्त्ता सारण को आदेशित किया गया, जिसके अनुपालन में इस वाद की सुनवाई की जा रही है। उक्त वाद से संबंधित विवरणी यह है कि दिनांक 21.01.2011 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा, अंचल अधिकारी मढ़ौरा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मढ़ौरा) के द्वारा सरल प्रसाद, ज0वि0प्र0वि0 अनुज्ञप्ति सं0–43/07 ग्राम– पकहॉ, पंचायत–नगर पंचायत, थाना–मढ़ौरा, प्रखंड–मढ़ौरा की दूकान की जॉच की गई। जॉच के कम में, निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई। 1. जॉच दल द्वारा बुलाने पर विक्रेता उपस्थित हुए। प्रारंभ में दूकान बन्द पाई गई। 2. दूकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य वालिका प्रदर्शित है समुचित रूप से संधारित नही था।	

3. विकेता के स्टॉक में 60 बोरा गेहूँ करने के बावजूद वितरण कार्य नही किया जा रहा था।
4. विकेता के सबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया है कि विकेता द्वारा आठ किलों गेहूँ और आठ किलो चावल दिया जाता है। अन्त्योदय/बी0पी0एल0 योजना के तहत। इस प्रकार इनके द्वारा निर्धारित मात्रा सें कम मात्रा में खाद्यान्न दिया जाता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 354 दिनांक 22.01.2011 से विकेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 19/मु0 दिनांक 10.02.2011 से विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। विकेता की दूकान पर सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका पर संधारित था। जॉच के समय भण्डार में 60 बोरा गेहूँ था, जिसका वितरण इसलिए नहीं किया गया था क्योकि चावल का उठाव नही हुआ था। विकेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 19/मु0, दिनांक 10.02.2011) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विकेता से प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विकेता के द्वारा प्रस्तुत

कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 23.03.2011 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 11 म.प्र. / दिनांक 15/1/16

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।